राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य अभिन्यता,भू जल विभाग, जोधपुर

कमांक:-एफ.12( )स्था/भूजल/2019/ 222 जोधपुर, दिनांक:- 1/5/19

-:: परिपत्र ::-

विभाग के ध्यान में आया है कि भू जल विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सीधे ही लोकायुक्त कार्यालय, भारत सरकार, विभिन्न संस्थाऐ एवं एजेन्सीयों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान सरकार एवं कार्मिक विभाग से पत्र व्यवहार करते है। अथवा मूल पत्र कार्मिक विभाग, संस्थाऐ, एजेन्सीयाँ या लोकायुक्त को भिजवाते हुये पत्र की अग्रिम प्रति राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित करते है। यह राजस्थान आचरण सेवा नियमों-1971 के नियम 11, 13, 23 एवं 24 के अन्तर्गत दुराचरण की परिभाषा मे आता है। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प.9(1)/कार्मिक/क-4/08 दिनांक 10.07.2008 व दिनांक 22.06.2009 जिसमे प्रशासनिक अधिकारियो को भी उक्त परिपत्र के द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है। राज्य सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है।

अतः भू जल विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य मे लोकायुक्त कार्यालय, भारत सरकार व भारत सरकार की संस्थाऐं/ऐजेंसियां व राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान सरकार, प्रशासनिक विभाग व कार्मिक विभाग से सीधे ही पत्र व्यवहार नही करेंगे और न ही अपने किसी पत्र की अग्रिम प्रति प्रेषित करेंगे अन्यथा राजस्थान आचरण सेवा नियम-1971 व राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।

उक्त निर्देशो की कड़ाई से पालना की जावे।

(सूरजभान सिंह)
मुख्य अभियन्ता,
भू जल विभाग,जोधपुर

कमांक:-एफ.12( )स्था/भूजल/2019/ 222 जोधपुर, दिनांक:- 1/5/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. श्रीमान् निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, भू जल विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्रीमान वरिष्ठ शासन उप सचिव, भू जल विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. तकनिकी सहायक प्रथम/द्वितीय, कृते मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर
4. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी, भू जल विभाग, ... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियो से उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावे।
5. नोडल अधिकारी (वैबसाईट) एवं वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक (DSPC), भू जल विभाग, जोधपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।
7. समस्त शाखा प्रभारी, (मुख्यालय)।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता,
भू जल विभाग,जोधपुर